मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक F19-03/2018/सत्रह/मेडि-1/ भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2018

// आदेश //

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी की सूचना के आधार पर डॉ. गौरव शैलगाँवकर के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति को आधार बनाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान डॉ. गौरव शैलगाँवकर को दिनांक 23 जनवरी 2018 को आरोप-पत्र जारी किये गये। जारी आरोप-पत्र के संबंध में डॉ. गौरव शैलगाँवकर ने समक्ष में उपस्थित होकर दिनांक 05 फरवरी, 2018 को प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया है। इस प्रतिवाद उत्तर के अध्ययन के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि डॉ. गौरव शैलगाँवकर की अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा डाइसनॉन घोषित कर दिया गया है तथा उन्हें जिला चिकित्सालय, देवास में पदस्थ कर दिया गया है, जहाँ उन्होंने दिनांक 29.12.2017 को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

अत: डॉ. गौरव शैलगाँवकर के विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के इस प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

क्रमांक F19-03/2018 ~~/2018/~~ सत्रह/मेडि-1/ भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि -

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, इन्दौर एवं उज्जैन।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन, बड़वानी एवं देवास।
4. डॉ. गौरव शैलगाँवकर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, देवास

(हस्ताक्षर)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण